

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव मौका रिपोर्ट दिनांक 01.12.2021 के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है। पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

1. वादी जगदीश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 267 रकबा 9.7286 हैक्टेयर में से 4.8643 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
2. वादी प्रहलादराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 267 रकबा 9.7286 हैक्टेयर में से 4.8643 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी सालगराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 257 रकबा 1.8130 हैक्टेयर पूरा, खेत खसरा नंबर 340 रकबा 1.4488 हैक्टेयर में से 0.7204 हैक्टेयर पश्चिमी भाग व मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 277 रकबा 11.06 बीघा अर्थात् 1.8292 हैक्टेयर यथावत रखा गया है।
4. प्रतिवादी रामगोपाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 342 रकबा 3.4641 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 340 रकबा 1.4488 हैक्टेयर में से 04.10 बीघा अर्थात् 0.7284 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2021  
कर सरे इजलास सुनाया गया।



की मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी  
01/12/2021  
(रवीन्द्र कुमार)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल